

## राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

### आज्ञा


कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 178 / 2024 दिनांक : 15.05.2024

श्री शैलेन्द्र चौधरी (RJ00917), प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, जोधपुर महानगर को दिनांक 15.05.2024 से 18.05.2024 तक 04 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 19.05.2024 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री चौधरी की अनुपस्थिति में अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन.डी. टी.एक्ट. प्रकरण), जोधपुर महानगर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, जोधपुर महानगर के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से


  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 15.05.2024

कमांक:-स्था.बी.2(4)/88/2015/ 3714

दिनांक 15.05.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर को उनके पत्रांक 3339 दिनांक 09.05.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्री शैलेन्द्र चौधरी (RJ00917), प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, जोधपुर महानगर।
4. प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, जोधपुर महानगर।
5. अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन.डी.टी.एक्ट.प्रकरण), जोधपुर महानगर।

  
14/5/2024  
सहायक रजिस्ट्रार